ई–मेल
संख्या–3223/आठ–3–2021

प्रेषक,

अजय चौहान,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त,**
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष,**
समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

3. **नियंत्रक प्राधिकारी/जिलाधिकारी,**
समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

4. **प्रबन्ध निदेशक,**
लखनऊ मेट्रो रेल कारर्पोरेशन,
लखनऊ।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–3 **लखनऊ : दिनांक : 23 नवम्बर, 2021**

विषयः–वायु प्रदूषण की रोकथाम हेतु दिये गये निर्देशों के अनुपालन तथा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु किये गये प्रयासों की अद्यतन स्थिति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–2958/आठ–3–2021 दिनांक 13.10.2021, शासनादेश संख्या–37/2016/207/आठ–1–16–27 विविध/14 दिनांक 27.01.2016, संख्या–1220/आठ–3–19–23 विविध/2016 दिनांक 04.11.2019 एवं संख्या–2566/आठ–1–19–83 बैठक/2017 दिनांक 27.12.2019 **(छायाप्रति संलग्न)** का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त शासनादेश दिनांक 28.12.2019 के माध्यम से वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के प्राविधानों तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एम0सी0 मेहता बनाम भारत संघ व अन्य में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में उक्त शासनादेश दिनांक 04.11.2019 एवं 27.01.2016 द्वारा निर्माण गतिविधियों से उत्सर्जित धूल तथा होने वाले वायु प्रदूषण की प्रभावी रोक थाम हेतु निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त शासनादेश दिनांक 27.12.2019 के द्वारा वायु प्रदूषण पर प्रभावी रोकथाम विषयक उक्त शासनादेशों के द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराने तथा अनुपालन न किये जाने की दशा में समुचित कानूनी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। प्रकरण में शासन के पत्र दिनांक 13.10.2021 के माध्यम से उक्त शासनादेशों द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन तथा वायु गुणवत्ता में सुधार हेतु किये गये प्रयासों की अद्यतन स्थिति से संबंधित सूचना निदेशक, आवास बन्धु को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये हैं। प्रकरण में वांछित सूचना अभी तक अप्राप्त है।

3– यह भी अवगत कराना है कि ओ0ए0 (Original Application) संख्या–21/2014 से संबंधित एम0ए0 (Misc. Application) संख्या–360/2016 को निस्तारित करते हुए मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 20.06.2016 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये हैं :–

We have heard the Learned counsel appearing for the parties. We clarify that the environmental compensation would be imposed on slab basis. We find that the prayer made in this Application is just and fair and if the offending construction in plot upto 100sq.mt. the environmental compensation would be Rs. 10,000/-, if the offending construction in more than 100 sq. mtr. But upto 200sq.mt., the environmental compensation would be Rs. 20,000/-, if the offending construction is in a plot of more than 200 sq. mt. but less than 500sq. mt. the environmental compensation would be Rs. 30,000/-, while the offending construction is in a

plot area of more than 500 sq.mt. the environmental compensation would be Rs. 50,000/- as already directed by the orders of the Tribunal. Wherever the constructed area is more than 20,000 sq. mtr. The environmental compensation would be Rs. 5 Lakhs. This rate will operate prospectively. Accordingly, M.A. No. 360 of 2016 stands disposed of without any order as to costs.

4– इस संबंध में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–21/2014 में पारित उक्त आदेश दिनांक 20.07.2016 की प्रति संलग्नकर अनुपालनार्थ प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया विनिर्माण गतिविधियों से होने वाले वायु प्रदूषण की रोकथाम एवं वायु गुणवत्ता में सुधार विषयक मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश दिनांक 20.07.2016 तथा उपरोक्त उल्लिखित शासनादेशों दिनांक 27.01.2016, 04.11.2019 एवं 28.12.2019 का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए शासन के पत्र दिनांक 13.10.2021 में वांछित सूचना निदेशक, आवास बन्धु को 03 दिन के अन्दर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,

(अजय चौहान)
सचिव।

संख्या–3223(1)/आठ–3–2021 –तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः–

1. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. संयुक्त सचिव, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन अनुभाग–7, उ0प्र0 शासन।
3. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
4. सचिव, उत्तर प्रदेश, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पिकप भवन, गोमती नगर, लखनऊ।
5. निदेशक, आवास बन्धु, लखनऊ उ0प्र0 को शासन के पत्र संख्या–2958(1)/आठ–3–2021 दिनांक 13.10.2021 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया शासनादेश को समस्त संबंधित को तामील कराते हुए तथा अभिकरणों से प्राप्त सूचना उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उ0प्र0 शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अजय कुमार सिंह)
उप सचिव।